

राज्य साख योजना 2009-10

State Credit Plan 2009-10

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम – संचालनालय मत्स्योद्योग

1.	योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित । (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप-योजनावार प्रेषित की जाए) Name of the Scheme with sub-components, if any.	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण । Fish Farmer Development Agency
2.	क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है । Whether it is Government of India/State Government of sponsored Scheme?	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण केन्द्र प्रवर्तित योजना है । Centrally Sponsored Scheme
3.	राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग । Nodal Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme	मछली पालन विभाग . छत्तीसगढ़ Fisheries Department Chhattisgarh
4.	जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग । Nodal office at the District level responsible for implementing the scheme.	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण जिलों में पंजीकृत संस्था है, इसके अध्यक्ष संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत है । Fish Farmers Development Agency is a Registered body. Chief Executive Officer of a District Panchayat is Chairman of FFDA.

<p>5. योजना का उद्देश्य । Objective of the Scheme</p>	<p>मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के उद्देश्य निम्नानुसार है:-</p> <p>(1) ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को हितग्राही बनाकर उन्हें ग्रामीण तालाब 5 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराना तथा मछली पालन के स्वरोजगार के साधन उन्हें उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति कराना।</p> <p>(2) पड़ित जलक्षेत्र से सघन मछली पालन के कार्य के अंतर्गत लाना तथा उनमें अधिक मत्स्योत्पादन करना ।</p> <p>(3) मत्स्य कृषक जिन्हें तालाब का 5 वर्षीय पट्टा दिया गया है, उन्हें सघन मछली पालन विधि का अल्पावधि प्रशिक्षण दिया जाता है ।</p> <p>(4) मत्स्य कृषकों को तालाब की मरम्मत तथा मत्स्य पालन व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये प्रथम वर्ष की पूंजी के लिये बैंक से लम्बी अवधि का ऋण तथा शासकीय अनुदान उलब्ध कराकर उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करना।</p> <p>(1) BPL families are Beneficiaries and tanks are given to them for 5 years lease. They develop their socio economic condition through Fish culture.</p> <p>(2) Barran water area are utilised through integrated Fish Farming.</p> <p>(3) Identify fish farmers those who have provided tanks on lease for 5 years are trained for integrated fish farming and short term training.</p> <p>(4) Loan and subsidy will be provided for 1st year Fish Culture and repairing of tank to get more target of fish production.</p>
---	---

6.	<p>क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है । यदि नहीं तो यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडों के नाम दर्शाये जाए ।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the districts of the State? If not, indicate the regions/districts/blocks where the Scheme is under implementation.</p>	<p>राज्य के पुराने 7 जिलों में योजना पंजीकृत है, जिसके अधीन प्रदेश के सभी नये जिले आ रहे हैं ।</p> <p>FFDA is registered in 7 old districts of the state and all new districts are covered under this scheme.</p>
7.	<p>किस प्रकार के हितग्राही योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि ।</p> <p>Type of Beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Others/Men/Women, etc.)</p>	<p>मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, को हितग्राही बनाया जाता है ।</p> <p>Under FFDA scheme the beneficiaries are BPL class.</p>
8.	<p>हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदंड यदि कोई हो तो ।</p> <p>Eligibility criteria for the beneficiary, if any</p>	<p>गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे व्यक्तियों को हितग्राही बनाया जाता है । इसके लिये निर्धारित प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मछुआ/अजजा/अजा की सहकारी समिति । 2. मछुआ/अजजा/अजा के समूह । 3. मछुआ/अजजा/अजा व्यक्ति विशेष । 4. विस्थापित मछुआ समिति/समूह/व्यक्ति । 5. स्व सहायता समूह । <p>Eligibility criteria for this scheme is BPL. Priorities fixed are as under:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Societies of fishermen/ST/SC. 2. Group of fishermen/ ST/SC. 3. Individual fishermen/ ST/SC. 4. Migrated societies group/ individual. 5. Self help group.

9.	<p>क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है ।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.</p>	<p>सभी श्रेणी के मत्स्य पालकों को केवल एक बार सहायता (अनुदान) देने का प्रावधान है ।</p> <p>Subsidy provision only once for all classes of fishermen whether they are societies /group/individual.</p>
----	--	---

10. प्रदान किये जा रहे अनुदान विषयक विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राहियों के लिए अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये ।)

Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category-wise details Rate (%)
Minimum
Maximum
GOI Contribution
State Government Contribution

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग नई दिल्ली के पत्र क्र. 31013/4/2001- fy(3) दिनांक 26.3.2004 के निर्धारित पैटर्न अनुसार ही मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजनान्तर्गत 1 से 15 आयटमों में हितग्राहियों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । इसमें 75 प्रतिशत भारत सरकार एवं 25 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है ।

Photocopy of letter no. 31013/4/2001-fy (3) of Govt. of India, Agriculture Ministry, Veterinary, Diary and Fisheries Department New Delhi. Expenditure on all items below will be shared on 75:25 basis between Government of India and State. The pattern of subsidy will be provided to beneficiaries as per approved pattern for fish farmer development agencies in the item no. 1 to 15 as follows

1. तालाबों का निर्माण:-

मैदानी क्षेत्रों में रु. 3.00 लाख प्रति हे. अनुदान की दर 20 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 60.00 लाख प्रति हे. सभी किसानों के लिए। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के किसानों के लिए 25 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 75000/- प्रति हे.।

1. Construction of new ponds : Rs.

3.00 lakh/ha in the plain areas subsidy @ of 20% with a ceiling of Rs. 60,000/ha for all fish farmers except SCs/STs for whom it will be Rs. 75,000/ha (25%)

2. तालाबों/टैंकों का पुनरुद्धार/नवीनीकरण :-

रु. 75000/हे.। अनुदान दर सभी किसानों को रु. 15000/हे. की अधिकतम सीमा के साथ 20 प्रतिशत की दर से, अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को रु.

11.	<p>क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है । यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए ।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	<p>नहीं ।</p> <p>No</p>
12.	<p>किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां योजनान्तर्गत अपेक्षित है ।</p> <p>Type of economic activities envisaged under the Scheme</p>	<p>ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को हितग्राही बनाकर उन्हें ग्रामीण तालाब 5 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराना तथा मछली पालन के स्वरोजगार के साधन एवं ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति करना है ।</p> <p>To improve socio economic activities of BPL families in rural area they are provided tanks to fish farming and provided loan and subsidy also.</p>
13.	<p>क्या व्यक्तिगत हितग्राही/समूह के लिये कुल लागत की कोई सीमा निर्धारित की गई है । यदि हां तो कृपया इसका विवरण प्रस्तुत करें ।</p> <p>Whether any ceiling has been fixed on the financial outlay for a single borrower/group. If so, please give details.</p>	<p>कुल लागत की सीमा केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृत राशि के अंतर्गत है ।</p> <p>No ceiling has been fixed for individual/groups.</p>
14.	<p>क्या योजनान्तर्गत कोई बैंक ऋण का प्रावधान है ।</p> <p>Whether any bank Loan is envisaged under the Scheme.</p>	<p>हां है ।</p> <p>Yes</p>

15.	<p>क्या हितग्राहियों के उपयोग के लिये राज्य शासन द्वारा परियोजना रूप रेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स) तैयार कर लिये गये है ।</p> <p>Whether any project profiles. etc. have been prepared by the State Government for the use beneficiaries.</p>	<p>मत्स्य कृषक विकास अभिकरण एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में कार्यरत है। भारत शासन के परिपत्र के बिन्दु क्र. 1 से 15 में उल्लेखित अनुसार अनुदान राशि दी जाती है।</p> <p>Govt. of India Memp point No. 1 to 15.</p>
16.	<p>अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो तो ।</p> <p>Additional details, if any.</p>	<p>नहीं है ।</p> <p>No</p>